राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना–800 022

पत्रांकः–BSU(Directive)-43/2023– **780** /रा०स०(।), दिनांक–**22.05.2024**

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.से.
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति
बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

विषय :– अधिषद् की बैठक के उपरान्त कार्यवाही के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10(1) एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) के आलोक में पटना विश्वविद्यालय एवं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के अधिषद् की बैठक की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के उपरान्त सभी विश्वविद्यालयों द्वारा बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन का प्रस्ताव, बैठक की कार्यवाही के साथ इस कार्यालय को भेजा जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इसमें एकरूपता नहीं रहती है। किसी कार्यवाही में विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी का हरताक्षर नहीं रहता है, तो किसी में बिन्दुवार लिये गये निर्णय का उल्लेख नहीं रहता है। किसी कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों का उल्लेख नहीं रहता है, तो किसी में माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार द्वारा किये गये संबोधन को भी अंकित किया जाता है।

वर्णित स्थिति में माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार ने निदेश देने की कृपा की है कि **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही बैठक की कार्यवाही तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजा जाय। जिन विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2024 में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही पूर्व से ही अनुमोदन हेतु भेजा गया है, उन मामलों में भी नये सिरे से संलग्न प्रपत्र के अनुरूप ही तैयार कर प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– BSU(Directive)-43/2023– **780** /रा०स०(।), दिनांक–**22.05.2024**

प्रतिलिपिः– विशेष पदाधिकारी (वि.वि.) /उप निदेशक (NIC) को राज्यपाल सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/गार्ड फाईल ।

22.5.2024

राज्यपाल के प्रधान सचिव

अनुलग्नक 'क'

(अधिषद् की बैठक की कार्यवाही तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र)

श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– .... को आहुत ...... विश्वविद्यालय के अधिषद् की बैठक की कार्यवाही–

---

1. उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

अधिषद् में कुल सदस्यों की संख्या.......... है तथा बैठक हेतु कोरम (Quorum) के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या.......... है, जिसके विरूद्ध उपस्थित सदस्यों की संख्या............. है। सूचना देकर अनुपस्थित सदस्यों की संख्या........ है तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सदस्यों की संख्या (नाम सहित) .... है।

2. कार्यवाही:–

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 10(1) अथवा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 9(1) (जो लागू हो) के आलोक में आहुत अधिषद् की बैठक में माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति बिहार, माननीय कुलपति .... विश्वविद्यालय एवं अधिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक हेतु पूर्व निर्धारित एजेंडा पर बिन्दुवार विचार करने हेतु सभी बिन्दुओं को सदस्यों के समक्ष रखा गया तथा सदस्यों से इन बिन्दुओं पर उनके विचारों को आमंत्रित किया गया।

आमंत्रित सुझाव एवं विमर्श के उपरांत अधिषद् द्वारा निम्नांकित निर्णय सर्वसम्मति से लिये गए:–

(i) प्रस्ताव संख्या 1:–
    लिया गया निर्णय :–

(ii) प्रस्ताव संख्या 2:–
    लिया गया निर्णय :–

(iii) प्रस्ताव संख्या 3:–
    लिया गया निर्णय :–

(iv) (v) इत्यादि।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

कुलसचिव   कुलपति